

डी. वी. शण्मुघम बनाम राज्य

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

अप्रैल 25, 1997

[जी. एन. रे और जी. बी. पटनायक, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 302,307,302/149,324- हत्या -अभियुक्त के सिर पर गंभीर चोटें-अभियोजन पक्ष ऐसी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा। जब ऐसी चोटें गंभीर प्रकृति की हों तो अभियुक्त को आई ऐसी चोटों को स्पष्ट करना अभियोजन पक्ष के लिए अनिवार्य है। सभी चश्मदीद गवाह मृतक से संबंधित हैं और इसलिए वे हितबद्ध हो सकते हैं। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर खून से सने पत्थर कैसे पाए गए। अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के स्थान के बारे में निश्चित नहीं थे। स्वतंत्र गवाहों को परीक्षित नहीं करवाया गया जबकि घटना के समय ऐसे गवाह मौजूद थे। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में सही पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। सह-अभियुक्त जिसकी भूमिका अभियुक्त के समान ही बतायी गयी है, उसे उच्च न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया गया है। अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 1 भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है और उसकी दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त

किया गया। हालांकि अपीलार्थी सं. 2 की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है इसलिए उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी गयी।

आपराधिक विचारण-साक्ष्य का विवेचन- स्वतंत्र गवाह मौजूद था परन्तु परीक्षित नहीं करवाया गया। अभियोजन ने केवल हितबद्ध साक्षियों को परीक्षित करवाया। अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के मामले की और ज्यादा अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136- साक्ष्य का विवेचन/पुनर्मूल्यांकन- उच्चतम न्यायालय भी साक्ष्य की जांच एवं विवेचन कर सकता है यदि नीचे की अदालत द्वारा की गयी ऐसी साक्ष्य की विवेचना देखने से ही गलत एवं न्याय की विफलता को प्रकट करती हो।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त और शिकायतकर्ता एक ही गाँव से थे। उनके बीच कोई ऐसी घटना घटित हुई थी जिसके संबंध में एक शिकायत भी दर्ज हुई थी और इस कारण से दोनों समूहों के बीच द्वेषता थी।

दिनांक 22.09.1990 को अभियुक्त ए-1 और ए-2 ने किसी गलतफहमी को लेकर एन के साथ झगड़ा किया और उसे चुनौती दी। उक्त एन परिवादी/शिकायतकर्ता का रिश्तेदार था। उसी दिन रात 10 बजे जब शिकायतकर्ता पीडब्लू-1 और मृतक एम एक थिएटर से लौट रहे थे तब

पाँच अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और घातक हथियारों के साथ पीडब्लू-1 और एम पर हमला कर दिया। इस दौरान ए-1 ने मृतक एम को पकड़ा, ए-2 ने उस पर चाकू से वार किया और एम घायल अवस्था में नीचे गिर गया। जब पीडब्लू 1 ने बीच-बचाव किया तो ए 2 ने उसके भी बाएं हाथ पर चाकू से वार किया और ए 1 ने लाठी से उसके दाएं हाथ पर वार किया। इस पर पीडब्लू 1 ने शोर मचाया तो उसके रिश्तेदार जिनमें दूसरा मृतक एस भी था, अपने घरों से बाहर आ गए और एम के पास इकट्ठा हो गए। अभियुक्त-व्यक्तियों ने इन व्यक्तियों पर भी हमला किया। इस दौरान ए 3 ने एस को पकड़ा और ए 2 ने एस के पेट में चाकू से वार करके उसे घातक चोटें कारित की। घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। एम की घटना में आयी चोटों की वजह से उसी दिन मध्य रात्रि के समय सदमे और रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गयी। एस. आई. ने एस का बयान दर्ज किया जिसकी अगले दिन मृत्यु हो गई। पीडब्लू-1 के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अन्वेषण आगे बढ़ा और सभी पांचों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। उनमें से ए-2 को आई. पी. सी. की धारा 302/149,148,307/149,324/149 और ए-2 को आई. पी. सी. की धारा

302,307,324,324/149 के तहत दोषसिद्ध किया गया था और उन सभी को तदनुसार सजा सुनाई गई थी।

अपील में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त ए-3, ए-4 एवं ए-5 की दोषसिद्धि को अपास्त कर उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त कर दिया और ए-1 की आई. पी. सी. की धारा 148,307/149 और 324/149 के तहत की गयी दोषसिद्धि और सजा को भी अपास्त कर दिया। ए-1 की धारा 302/149 आई. पी. सी. के तहत की गयी दोषसिद्धि को धारा 302/34 आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्धि में बदलकर उसकी आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई। पीडब्लू 2 को चोट पहुँचाने के लिए धारा 324 आई. पी. सी. के तहत की गयी ए-1 की दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा गया।

जहाँ तक ए-2 का संबंध है, उसकी धारा 148 और 324/149 आई. पी. सी. के तहत हुई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त कर दिया गया। हालाँकि, सत्र न्यायाधीश द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 और 307 के अपराधों के लिए की गई ए-2 की दोषसिद्धि और सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति एवं उद्भव को छुपाने का दोषी है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों को लगी चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। विशेष रूप से, ए-1 की चोटें

जो गंभीर प्रकृति की थीं और इसके अलावा अभियोजन पक्ष घटना के स्थान को परिवर्तित करने का भी दोषी था। यह भी तर्क दिया गया कि ए-1 और ए-3 की भूमिका समान है और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए चूंकि ए-3 को संदेह का लाभ दिया है और जब ए-1 की भूमिका के संबंध में ए-3 के समान ही कमजोरियां थी तो ए-1 भी संदेह का लाभ पाने का हकदार था।

प्रत्यर्थी राज्य ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गई और दो निचले न्यायालयों द्वारा जब ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया गया है तो इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

इस अपील का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय द्वारा

अभीनिर्धारित: 1. आपराधिक न्यायशास्त्र का सिद्धांत अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व अधिरोपित करता है कि वह अभियुक्त को लगी चोटों का स्पष्टीकरण दे, विशेष रूप से जब ऐसी चोटें गंभीर प्रकृति की हों। इसके अलावा, किसी उचित मामले में इस न्यायालय की साक्ष्य की जांच करने की शक्ति पर भी कोई रोक नहीं है यदि निचले न्यायालयों द्वारा की गयी साक्ष्य की जांच अथवा विवेचना पहली नज़र में देखने से ही गलत प्रतीत होती है और साक्ष्य की ऐसी विवेचना के फलस्वरूप न्याय की विफलता

प्रकट हो रही हो। ए-1 को आई चोटों की प्रकृति ऐसी नहीं थी कि गवाहों के द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता हो। खासकर तब जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य इस बात का संकेत दे रहे हों कि अत्यधिक रक्त स्राव हुआ होगा। अभियोजन पक्ष ऐसी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहा और इस तरह के गैर-स्पष्टीकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष ने ए-1 की भूमिका के संबंध में सही कहानी प्रस्तुत नहीं की है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भारी गलती की गयी है कि ए-1 की चोटों का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना महत्वपूर्ण बात नहीं है।[1001-जी-एच; 1002-ए-बी]

लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, [1976] 4 एस. सी. सी. 394, पर निर्भर था।

2.1. अभियोजन पक्ष के गवाह भी इस बारे में निश्चित नहीं थे कि घटना कहाँ घटित हुई। पीडब्लू-2 एवं पीडब्लू-8 के साक्ष्य से भी यह तथ्य सामने आया है कि घटनास्थल पर कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने घटना देखी थी और जो उस इलाके के निवासी नहीं थे। अगर ऐसे स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे और फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें परीक्षित नहीं करवाया गया और केवल मृतक के रिश्तेदारों को ही परीक्षित करवाया गया तब ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले की जांच अधिक सावधानी और सतर्कता से की जानी चाहिए।[1002 -जी-एच]

2.2. अपीलार्थी द्वारा यह सही तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने ए-3 को लाभ दिया है क्योंकि गवाहों ने ए-1 द्वारा एम को पकड़ने तथा ए-3 द्वारा एस को पकड़ने की भूमिका के बारे में जो बातें बतायी हैं, वे गवाहों ने अपने धारा 161 सीआर.पी.सी. के तहत पूछताछ के दौरान पुलिस को नहीं बतायी और इसलिए जब अभियोजन पक्ष के गवाह ने ए-1 द्वारा एम को पकड़े जाने के बारे में कहा है तो वही दुर्बलताएँ उत्पन्न हो गईं इसलिए उक्त ए-1 भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसी कमजोरियों के कारण और विशेष रूप से जब अभियोजन पक्ष ए-1 के सिर पर लगी गंभीर चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है और उच्च न्यायालय ने पहले ही पाया है कि उक्त चोट घटना के दौरान लगी थी, तो ए-1 संदेह के लाभ का हकदार है और इसलिए उसकी आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 324 के तहत हुई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है।[1003 -ए-डी]

3. जहाँ तक ए-2 को लगी चोटों का संबंध है, वे साधारण और सतही प्रकृति की हैं और अभियोजन पक्ष ऐसी मामूली और सतही चोटों की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जहां साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट, ठोस और एक स्वतंत्र स्रोत से लगातार आ रहा है, वहां यह अभियोजन पक्ष की ओर से हुई उक्त चूक से कहीं अधिक प्रभावी है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को आयी चोटों की व्याख्या करने का लोप

किया है। ऐसे मामले में दोषसिद्धि की जा सकती है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभियोजन पक्ष ने चोटों को स्पष्ट किया है अथवा नहीं। घटना के सभी चश्मदीद गवाहों द्वारा एक स्वर में यह कहा गया है कि ए-2 ने एम और एस के पेट में चाकू से वार किया था। इस तथ्य की पुष्टि चिकित्सकीय परीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है। यहां तक कि एफ. आई. आर के शुरुआती संस्करण में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ए-2 ने मृतक के पेट पर चाकू से वार किया था। इस तरह के निर्णायक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता, बावजूद इसके कि अभियुक्त व्यक्ति पर पाई गई चोटों की व्याख्या नहीं की गयी। विशेष रूप से जब ऐसी चोटें प्रकृति में मामूली और सतही थीं। ए-2 के खिलाफ अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुआ है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गयी उसकी सजा और दोषसिद्धि में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।[1003 -एफ-एच; 1004-ए-सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 647/1994

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दण्डिक अपील संख्या 695/1993 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 15.04.1994 से

अपीलार्थियों के लिए के. परासरन और वी. कृष्णमूर्ति।

प्रत्यर्थियों के लिए के. अमरेश्वरी और जी. प्रभाकर।

न्यायालय का निर्णय पटनायक, जे. के द्वारा दिया गया था।

यह अपील सेशन प्रकरण संख्या 251/1991 में हुए निर्णय के विरुद्ध की गयी दण्डिक अपील संख्या 695/1993 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 15.04.1994 के खिलाफ निर्देशित है। दोनों अपीलकर्ताओं पर तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर कई अपराध करने का आरोप लगाया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चित्तूर, जिला तिरुपति ने प्रकरण में विचारण कर अपने निर्णय दिनांकित 9 जुलाई, 1993 के द्वारा उन सभी को भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषसिद्ध किया गया था। ए-2 के सिवाय सभी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें धारा 148 के तहत भी दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी थी। इसी प्रकार धारा 307/149 के तहत उन्हें दोषसिद्ध किया गया और पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी। धारा 324/149 के तहत दोषसिद्ध किया जाकर उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया। ए-2 को मोहन और शेखर की हत्या के लिए धारा 302 के तहत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 307 के तहत उसे दोषसिद्ध किया गया और पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 200/- रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अदम अदायगी जुर्माने

की दशा में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। धारा 324 के तहत भी उसे दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी। इसी प्रकार उसे धारा 324/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध कर एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा अपील में, आक्षेपित उक्त फैसले में अभियुक्त सं. 3, 4 व 5 की दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त कर दिया गया। अपील में, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त सं. 1 की धारा 148, 307/149 और 324/149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत की गयी दोषसिद्धि एवं सजा को भी अपास्त कर दिया गया। उसकी धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता में हुई दोषसिद्धि को धारा 302/34 के तहत परिवर्तित कर दिया गया और उसकी आजीवन कारावास की सजा को पुष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार पीडब्ल्यू-2 को चोट कारित करने हेतु धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में हुई उसकी दोषसिद्धि को भी पुष्ट किया गया। जहां तक अभियुक्त संख्या 2 का संबंध है तो उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायाधीश द्वारा उसकी धारा 302 व 307 भारतीय दण्ड संहिता के लिए की गयी दोषसिद्धि और सजा को पुष्ट किया। उसकी धारा 148 व 324/149 के लिए हुई दोषसिद्धि एवं ऐसे अपराधों के लिए पारित दण्डादेश भी अपास्त कर दिए गए और इस प्रकार वर्तमान अपील की गयी।

अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि सभी अभियुक्त व्यक्ति दासरीमतम गाँव के हैं और शिकायतकर्ता पक्ष के लोग भी उसी गाँव के हैं। 6 मई, 1990 को दोनों समूहों के बीच कुछ घटना हुई थी, जिसके संबंध में अभियुक्त संख्या 1 द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी वजह से दोनों गुटों के बीच मनमुटाव था और घटना की तारीख 22 सितंबर, 1990 को रात 8 बजे जब नटराजन नामक व्यक्ति बुखार के कारण खांस रहा था और उसी समय अभियुक्त संख्या 1 अपने स्कूटर पर वहां से गुजरा। उसने इसे एक ताना मारने/व्यंग्य के रूप में लिया और इसलिए वह अपने भाई अभियुक्त संख्या 2 को स्कूटर पर बिठाकर लाया और झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसे चुनौती दी। उक्त नटराजन नामक व्यक्ति शिकायतकर्ता का रिश्तेदार था। इसके कुछ समय बाद रात 10 बजे शिकायतकर्ता पीडब्लू 1 और मृतक मोहन एक थिएटर से लौट रहे थे और जब वे वी. मुरली नामक व्यक्ति के घर के पास पहुंचे तो पांचों अभियुक्त व्यक्ति वहां अवैध-सभा का गठन कर खड़े थे और उन्होंने शिकायतकर्ता और मृतक पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान अभियुक्त संख्या 1 ने मृतक मोहन को पकड़ लिया और अभियुक्त संख्या 2 ने उसके पेट पर चाकू से वार किया और मोहन घायल होकर नीचे गिर गया। जब शिकायतकर्ता, पीडब्लू-1 ने हस्तक्षेप किया तो अभियुक्त संख्या 2 ने उसके भी बाएं हाथ पर चाकू से वार किया और अभियुक्त संख्या 1 ने उसके दाहिने हाथ पर लाठी से वार किया। इसके बाद पीडब्लू-1 ने शोर मचाया

और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दूसरे मृतक शेखर सहित उसके अन्य रिश्तेदार अपने घरों से बाहर आ गए और मोहन की ओर दौड़े। पाँचों अभियुक्त व्यक्तियों ने इन लोगों पर भी हमला कर दिया और इस दौरान अभियुक्त संख्या 3 ने शेखर को पकड़ लिया, अभियुक्त संख्या 2 ने उसके पेट पर चाकू से वार किया और घातक चोट पहुँचाई। अभियुक्त व्यक्तियों ने विशेष रूप से अभियुक्त संख्या 4 और 5 ने शिकायतकर्ता समूह के सदस्यों पर पथराव कर उन्हें भी चोटें पहुँचायी। अभियुक्त संख्या 1 ने रवि कुमार नामक व्यक्ति के बाएं हाथ की कोहनी पर चाकू से वार किया जिसके परिणामस्वरूप रवि कुमार घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और मोहन की घटना में आयी चोटों की वजह से उसी दिन मध्य रात्रि के समय सदमे और रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गयी। घटना की सूचना प्राप्त होने पर पूर्वी पुलिस थाना के पुलिस उप-निरीक्षक अस्पताल पहुंचे और 23 सितंबर, 1990 को सुबह के 5 बजे घायल शेखर के बयान दर्ज किए और अंततः 24 सितंबर, 1990 को रात 9.25 बजे शेखर की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। पीडब्लू-1 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर अन्वेषण आगे बढ़ा और बाद अनुसंधान जैसा कि पहले भी बताया गया है सभी पाँचों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला। अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों को परीक्षित करवाया और बड़ी संख्या में दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। बचाव पक्ष

ने किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाहों के पूर्व बयानों काे विचारण के दौरान उनकी परीक्षा के समय उनका खंडन करने के उद्देश्य से प्रदर्शित करवाया। साथ ही कुछ अन्य दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाए। विद्वान् सत्र न्यायाधीश अभिलेख पर आयी साक्ष्य के विश्लेषण उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष के गवाह विश्वसनीय हैं और उनकी गवाही के आधार पर जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अभियुक्त व्यक्तियों को दोषसिद्ध करके उन्हें सजा सुनाई गयी।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपील में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का फिर से विवेचन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर लगे इस आरोप संबंधी भूमिका को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि उक्त अभियुक्तगण ने मृतक मोहन को चोटें पहुंचायी और ऐसी चोटों के परिणामस्वरूप अंततः मोहन की मृत्यु हो गयी लेकिन जहां तक शेखर को लगी चोटों का सवाल है तो यद्यपि शेखर को लगी ऐसी चोटें अभियुक्त संख्या 2 द्वारा कारित करने संबंधी उसकी भूमिका को स्थापित करने में तो अभियोजन पक्ष सफल रहा है परन्तु वह अभियुक्त संख्या 3 एवं 5 की इस संबंध में भूमिका को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के इस साक्ष्य को खारिज कर दिया कि

उन्होंने तथाकथित गैरकानूनी सभा का गठन करने और शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला करने में अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख किया है क्योंकि पुलिस को बताया गए शिकायतकर्ता पक्ष के शुरुआती संस्करण में उक्त अभियुक्तगण पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया था। ऊपर बताया गए निष्कर्ष पर आने के बाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 के खिलाफ अभियोजन पक्ष कोई भी आरोप स्थापित नहीं कर पाया है और इस प्रकार उन्हें सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त किया गया। लेकिन अभियोजन पक्ष के उक्त गवाहों की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए ही उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 और 2 की मृतक मोहन और शेखर को चोट पहुँचाने की भूमिका को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित माने जाने का निर्णय दिया और इसलिए अभियुक्त संख्या 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं अभियुक्त संख्या 1 को आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध किया गया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 और 2 जो इस अपील में अपीलार्थी हैं, को पीडब्लू-2 और पीडब्लू-1 को चोट पहुँचाने हेतु धारा 324 आई. पी. सी. के लिए भी दोषसिद्ध किया और अभियुक्त संख्या 2 को पीडब्लू-7 की हत्या के प्रयास के लिए भी धारा 307 आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्ध किया गया। यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए एक सकारात्मक निष्कर्ष दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बताए अनुसार अभियुक्त

संख्या 4 और 5 ने पथराव नहीं किया था और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष इस अपील को निर्धारित/निर्णीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि राज्य ने अभियुक्त संख्या 3, 4 और 5 की दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। इस कारण उनकी दोषमुक्ति का आदेश अंतिम हो गया है।

दोनों अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ वकील श्री के. परासरन ने जोर देकर तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो व्यक्तियों मोहन और शेखर की घटना के दौरान मृत्यु हो गई है लेकिन अभियोजन पक्ष की कहानी जस की तस है। अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयानों से यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने घटना के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद घटना का सही रूप प्रस्तुत नहीं किया और अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति और उसके उद्भव को छुपाने का दोषी है। साथ ही अभियोजन पक्ष ने दोनों अपीलकर्ताओं के साथ-साथ उनके पिता सुब्रमण्यम को लगी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। विशेष रूप से अभियुक्त संख्या 1 के सिर पर आयी चोटें, जिसके कारण उक्त अभियुक्त को कई टांके लगे थे और जिन्हें न्यूरोलॉजिकल सर्जिकल सेंटर से हटाने की आवश्यकता थी और चोटें गंभीर प्रकृति की थीं।

श्री के. परासरन ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष घटना स्थल को स्थानांतरित करने अथवा बदलने का भी दोषी है। अभियोजन पक्ष के

गवाहों के अनुसार भले ही मोहन और शेखर को छुरा घोंपने की घटना अभियुक्त मुरली के घर के सामने हुई हो, लेकिन खून और खून से सना हुआ पत्थर एक श्री रेड्डी नामक व्यक्ति के बरामदे से बरामद किया गया था, जो अभियुक्त मुरली के घर से बहुत दूर है और अभियोजन पक्ष इस संबंध में पूरी तरह से चुप है कि श्री रेड्डी के बरामदे से इस तरह का खून और खून से सना हुआ पत्थर कैसे बरामद हुआ। श्री के. परासरन ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के सभी चश्मदीद गवाह एक-दूसरे से संबंधित हैं और इन सभी ने अभियोजन की कहानी को एक ही तरह से बताया है और एकमात्र स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-10 ने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और ऐसी परिस्थितियों में जब स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाहों के बताए अनुसार अन्य स्वतंत्र गवाह भी उपलब्ध थे तो ऐसे अन्य गवाहों को परीक्षित नहीं करवाया जाना भी अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करता है। श्री के. परासरन ने अंत में आग्रह किया कि अभियुक्त संख्या 1 और अभियुक्त संख्या 3 की भूमिका समान है अर्थात् अभियुक्त संख्या 1 ने मोहन को पकड़ा और अभियुक्त संख्या 2 ने मोहन को चाकू मारा तथा इसी प्रकार अभियुक्त संख्या 3 ने शेखर को पकड़ा और अभियुक्त संख्या 2 ने शेखर को चाकू मारा और अभियुक्त संख्या 3 की भूमिका का जहां तक सवाल है तो उच्च न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए इसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। ऐसे में अभियुक्त सं. 1 की भूमिका के संबंध में भी जब साक्ष्य में

वही कमजोरियां हैं तो अभियुक्त सं. 1 को दोषी ठहराने का उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष गलत है और अभियुक्त सं. 1 भी सन्देह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्रीमती अमरेश्वरी ने तर्क दिया कि जब दो अदालतें पहले ही साक्ष्य की विवेचना कर चुकी हैं और अपना निष्कर्ष दे चुकी हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त संख्या 1 और 2 के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तो इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करे। विशेष रूप से तब जबकि दो बहुमूल्य जीवन खो दिए गए हों। विद्वान् वकील ने यह भी आग्रह किया कि यह सच है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा है लेकिन उक्त प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया जा चुका है और फिर भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के स्पष्ट व ठोस साक्ष्य को देखते हुए जब उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया है, तो इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान् वकील के अनुसार मामले का सार यह है कि अभियुक्त संख्या 1 ने मोहन को पकड़ हुआ था जब आरोपी नंबर 2 ने मोहन के पेट पर चाकू से वार किए। यह तथ्य पूरी तरह से कई गवाहों के बयानों से साबित किया

गया है जो खुद घटना के दौरान घायल हो गए थे और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धी को बहाल रखा गया है जिसमें इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि श्रीमती अमरेश्वरी ने अपने अंतिम निवेदन में कहा कि यद्यपि अभियुक्त सं. 1 अभियोजन पक्ष के गवाहों में समान तर्क और समान कमजोरियों को लागू करके संदेह का लाभ पाने का हकदार हो सकता है जिसके आधार पर अभियुक्त संख्या 3 को बरी कर दिया गया था परन्तु जहां तक अभियुक्त संख्या 2 का संबंध है, उसकी दोषसिद्धी स्पष्ट व ठोस साक्ष्य के आधार पर की गयी है जिसकी चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा भी पुष्टि हुई है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

अभियुक्त की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने के सवाल पर प्रदर्श डी-6 निजी घाव प्रमाण-पत्र से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 1 के पार्श्विका उभार पर 5x1/2 सेमी. आकार की चोट लगी जिससे थक्का बन गया और उसे न्यूरोसर्जरी वार्ड के अधीन एमएस III में भर्ती करवाया गया था परन्तु उसे चिकित्सकीय सलाह के खिलाफ छुट्टी दे दी गयी और उसे आई चोट गंभीर प्रकृति की थी जो कुन्द हथियार या वस्तु से आई हो सकती है। तिरुपति अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डाॅ. एस. कोटेश्वर राव द्वारा जारी प्रदर्श पी-10 से भी यह स्पष्ट होता है कि

अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 24.04.1990 को रात 10 बजे न्यूरोसर्जरी
विभाग की

उच्च देखभाल इकाई से उपचार प्राप्त करने के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी थी।

डाॅक्टर (पीडब्लू-15) ने अपने बयानों में कहा: तिरूपति के पूर्वी पुलिस थाने के आवेदन/मांग पर दिनांक 23.03.1990 को मेरे द्वारा ए-1 का परीक्षण किया गया था। ए-1 को पांच पुलिस कांस्टेबलों के एस्काॅर्ट के साथ अस्पताल भेजा गया था। मैंने दिनांक 23.03.1990 को सुबह के 04.45 बजे ए-1 का परीक्षण किया था। दुर्घटना रजिस्टर के अनुसार ए-1 ने उस समय मुझे बताया था कि उस पर लोहे की राॅड, लाठियों और जंजीरों से हमला किया गया था। मैंने उसके दाहिने पार्श्विका उभार पर 5x1/1 सेमी. आकार की चोट पायी। खून का थक्का पाया गया था। एक्स-रे भी लिया गया। ए-1 को न्यूरोसर्जन के अधीन वार्ड नंबर एम.बी.।।। में भर्ती किया गया। ए-1 पर पायी गयी चोट गंभीर थी और उसके 12-13 टांके आए थे। ए-1 को उक्त चोट लगने पर उसे बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ होगा।

प्रदर्श डी-11 उस डाॅक्टर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र है जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 दिनांक 05.10.1990 को टांके हटवाने व पट्टी करवाने हेतु अस्पताल में उपस्थित हुआ था और उस दिन भी उसका घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। डाॅक्टर के अनुसार इसे ठीक होने में एक महीना और लगेगा। अभियुक्त यानी अपीलकर्ता संख्या 1 के शरीर के

महत्वपूर्ण अंग पर लगी उक्त चोट निस्संदेह गंभीर प्रकृति की थी और जैसा कि पी.डब्लू. 15 ने बताया है कि घायल को ऐसी चोट के कारण अवश्य अत्यधिक रक्तस्राव हुआ होगा। अभियुक्त यानी अपीलार्थी संख्या 2 को निम्नलिखित चोटें लगी थी, जैसा कि प्रदर्श डी-7 से स्पष्ट है जो पी.डब्लू. 15 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र है:-

1. दांयी आंख के उपर 2x1 सेमी. आकार की सूजन के साथ कई घर्षण।

2. दांयी आंख पर काला निशान मौजूद है।

3. दाहिनी तरफ दाढ़ की हड्डी में सूजन मौजूद है।

पी.डब्लू. 15 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि:-

वही पुलिस सुबह 04.45 बजे ए-2 को लेकर आयी और मैंने पुलिस की मांग पर उसका परीक्षण किया। मैंने ए-2 को उसके पहचान चिह्नों की तुलना करके पहचाना। ए-2 ने भी मुझे बुलाया कि उस पर भी लोहे के सरियों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया गया था। मैंने ए-2 पर निम्नलिखित चोटें पायी:-

1. दाहिनी दाढ़ की हड्डी पर 2x1 सेमी. आकार की सूजन।

2. एक आंख का काली होना।

3. दाहिनी दाढ़ की हड्डी में सूजन।

चोटें साधारण प्रकृति की हैं। प्रदर्श D-7, ए-2 के पक्ष में जारी किया गया प्रमाण पत्र है।

अभियुक्त अपीलार्थी संख्या 2 को लगी उक्त चोटें निस्संदेह साधारण/मामूली प्रकृति की हैं। दोनों अभियुक्तगण-अपीलार्थियों के पिता सुब्रमण्यम को भी निम्नलिखित चोटें आयी थी जैसा कि पी.डब्लू. 15 द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रदर्श डी-8 से प्रकट होता है:-

1. खोपड़ी की उपरी सतह पर लंबाई में 5 सेमी. आकार का घर्षण।
2. बांयी आंख की भौंह में सूजन।
3. पैर या टांग के उपरी हिस्से में सूजन।
4. बांयी पिण्डली की मांसपेशी के उपर 6x3 सेमी. आकार का घर्षण
5. बांयी पिण्डली की मांसपेशी के नीचे 7x4 सेमी. आकार का घर्षण

खोपड़ी एपी. का एक्स-रे संख्या 1505/14536- बांयी टांग में कोई हड्डी नहीं टूटी- किसी प्रकार की हड्डी टूटने की चोट नहीं थी।

-उसे न्यूरोसर्जरी वार्ड के अधीन वार्ड एम.एस.।।। में भर्ती किया गया था और चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध उसे छुट्टी दे दी गयी।

-चोट मामूली प्रकृति की थी जो संभवतया कुन्द हथियार से कारित की गयी थी। चोट की उम्र करीब 6 घण्टे थी।

स्थान-तिरुपति

हस्ताक्षरित

दिनांक 20.10.1990 20.10.1990

(डाॅ. कोटेश्वर राव)

सहायक सिविल सर्जन

एस.वी.आर.आर. अस्पताल

तिरुपति

पी.डब्लू. 15 ने भी अपनी साक्ष्य में यही बात दाेहराते हुए कहा है
कि:-

मैंने सुबह 04.45 बजे उसका परीक्षण किया और उस पर
निम्नलिखित चोटें पायी:

1. खोपड़ी की सतह के उपर एक 5 सेमी. लंबाई में घर्षण।
2. बांयी आंख की भौंह पर सूजन।
3. बांयी टांग के उपरी हिस्से में सूजन।
4. बांयी पिण्डली की मांसपेशी पर 6x3 सेमी. आकार का घर्षण।
5. दायीं पिण्डली की मांसपेशियों के नीचे 7x4 सेमी. आकार का
घर्षण।

वह न्यूरोसर्जन की देखरेख में वार्ड नंबर 3 में भर्ती भी हुआ था। चोटें साधारण प्रकृति की थीं जिनकी आयु करीब 6 घण्टे थी। प्रदर्श डी-8 उसके चिकित्सकीय परीक्षण का प्रमाण-पत्र है।

पी.डब्लू. 15 की राय के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त चोटें साधारण प्रकृति की हैं।

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों अभियुक्तगण अपीलकर्ताओं और उनके पिता सुब्रह्ण्यम को घटना के दौरान चोटें आयीं। विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थियों और उनके पिता को आयीं ऐसी चोटों के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है और यदि नहीं तो ऐसे गैर-स्पष्टीकरण के कारण क्या अभियोजन का मामला किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है। इस संबंध में कानून पर लक्ष्मी सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एस.सी.सी. 394 के मामले में दिए गए फैसले में इस न्यायालय ने अच्छी तरह से चर्चा की है। उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त को लगी चोटों को स्पष्ट करने में विफल रहता है तो वहां इसके दो परिणाम हो सकते हैं:-

1. कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों की गवाही असत्य हैं और
2. कि ऐसी चोटें अपीलार्थियों द्वारा ली गयीं दलील को संभावित बनाती हैं।

उपर्युक्त मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि हत्या के मामले में घटना के समय अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे अदालत निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकती है:-

1. कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और उद्भव को छुपा लिया है और इस प्रकार उसने अपनी सही कहानी अथवा संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है।

2. कि जिन गवाहों ने अभियुक्त के शरीर पर लगी चोटों के अस्तित्व से इन्कार किया है, वे अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के संबंध में झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय है।

3. कि यदि किसी मामले में अभियुक्त व्यक्ति को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण देने वाला बचाव पक्ष का कोई पक्षकथन है तो यह अभियोजन के मामले के प्रति संदेह पैदा करने के लिए संभावित कारण है।

आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण का अभियोजन पक्ष द्वारा किया गया लोप बहुत अधिक महत्व रखता है जहां मामले में हितबद्ध एवं विरोधी साक्षियों की गवाही दोनों शामिल हों। लेकिन यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां अभियुक्तों को आयी चोटें मामूली और सतही हों और चोटें घटना के दौरान नहीं लगी हों, वहां अभियोजन के लिए ऐसी चोटों का स्पष्टीकरण देना

बाध्यकारी नहीं है। दोनों अपीलार्थियों और साथ ही उनके पिता सुब्रमण्यम के शरीर पर पायी गयी चोटों की बारीकी से जांच करने पर हमने पाया है कि अपीलार्थी संख्या 2 व उसके पिता सुब्रमण्यम को लगी चोटें मामूली प्रकृति की और सिर्फ सतही हैं और इस कारण से अभियोजन ऐसी चोटों के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं था परन्तु अपीलार्थी संख्या 1 काे लगी चोटें इस प्रकृति की नहीं हैं कि घटना के गवाहों के द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता हो। खासकर तब जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य में भी यह स्पष्ट हो कि अत्यधिक रक्तस्राव अवश्य हुआ होगा। अपीलार्थी संख्या 1 को लगी ऐसी गंभीर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन पक्ष बाध्य है और यदि ऐसा स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है तो यह न्यायालय निष्कर्ष निकालने का हकदार है जैसा कि इस न्यायालय ने लक्ष्मी सिंह व अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया है। पी.डब्लू. 1 जो स्वीकृत रूप से घटना का चश्मदीद गवाह है और शुरुआत से ही घटनास्थल पर मौजूद था, उसने अपनी साक्ष्य में कहा है: "यह कहना सही नहीं है कि घटना में ए-1 व ए-2 के सिर पर खून बहने वाली चोटें आयी हों और ए-1 के सिर में गंभीर चोट लगी हो। यह कहना सही नहीं है कि घटना के समय ए-1 व ए-2 का पिता सुब्रमण्यम घटनास्थल पर मौजूद था और उसके सिर एवं शरीर के अन्य अंगों पर चोट लगी हो।" पी.डब्लू. 2 भी जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसने भी कहा है: " -1 व ए-2 के सिर पर खून बहने वाली चोटें

देखी हैं परन्तु वह चोटें उन्हें ए-4 व ए-5 के द्वारा इमारत से किए गए पथराव में पत्थरों के लगने के कारण आर्यी थी।” उसकी जिरह में यह सामने आया: “पुलिस ने मुझसे पूछा कि ए-1 व ए-2 को खून बहने वाली चोटें कैसे लगी थी और उस समय मैंने पुलिस को नहीं बताया कि ए-1 व ए-2 को ऐसी चोटें ए-4 एवं ए-5 द्वारा पत्थर फेंके जाने के कारण लगी थी” .डब्लू. 3 भी जो घटना का चश्मदीद साक्षी था, उसने भी ए-1 व ए-2 को लगी चोटों एवं ऐसी चोटें उन्हें कैसे लगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

पी.डब्लू. 6 भी घटना का चश्मदीद गवाह था और खुद भी घायलों में से एक था। उसने भी अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना के समय ए-1 व ए-2 के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और आगे वह कहता है कि उसे नहीं पता कि ए-1 व ए-2 तथा उनके पिता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया था या नहीं। पी.डब्लू. 7 भी घटना का गवाह है और उसने अपनी गवाही में कहा कि घटना के समय ए-1 व ए-2 के सिर पर खून बहने वाली कोई चोटें नहीं थी। पी. डब्लू. 8 भी घटना का समान रूप से एक गवाह है और उसने निस्संदेह कहा था कि उसने ए-1 के सिर पर खून बहने वाली चोटों को चिह्नित किया था लेकिन यह नहीं बताया कि अभियुक्त ए-1 व ए-2 को ये चोटें कैसे लगी। पी.डब्लू. 10 को यद्यपि अभियोजन पक्ष ने परीक्षित करवाया था परन्तु उसने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और

इसलिए न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को उसकी जिरह करने की अनुमति दी गयी थी।

पी. डब्लू. 12 अभियुक्त संख्या 2 द्वारा शेखर पर हमला करने के साथ ही अभियुक्त संख्या 1 द्वारा पीडब्लू-7 पर हमला करने संबंधी तथ्यों का गवाह है। उसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि: "घटना-स्थल पर मैंने ए-1 व ए-2 पर खून बहने वाली चोटें नहीं देखी।" इस प्रकार घटना के उक्त सात चश्मदीद साक्षियों में से पी.डब्लू. 2 व पी.डब्लू. 8 को छोड़कर बाकि किसी ने भी नहीं बताया कि उन्होंने दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों के सिर पर चोट देखी हों। पी.डब्लू. 8 ने हालांकि चोटों को देखने की बात कही परन्तु यह स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ये चोटें अभियुक्त-अपीलार्थियों को कैसे लगी थी। पी.डब्लू. 2 ने यद्यपि एक स्पष्टीकरण पेश किया अर्थात् चोटें ए-4 व ए-5 द्वारा पत्थर फेंकने के कारण लगी हैं लेकिन उच्च न्यायालय साक्ष्य का विवेचन करने पर इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा कि ए-4 व ए-5 द्वारा पत्थर फेंके जाने वाली अभियोजन की कहानी विश्वास के काबिल नहीं है और जैसा कि आरोप लगाया गया था, वास्तव में उन्होंने पत्थर नहीं फेंके थे। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया गया है, पी.डब्लू. 2 द्वारा धारा-161 सीआर.पी.सी. के तहत पुलिस के समक्ष पूछताछ में अभियुक्त व्यक्तियों के सिर पर लगी चोटों के अस्तित्व और ऐसी चोटें कैसे लगी, इस बारे में नहीं बताया गया था।

उपर्युक्त परिस्थितियों में यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य/अपरिवर्तनीय है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 काे लगी चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिन्हें स्पष्ट करना अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी था और अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 को लगी चोटों का स्पष्टीकरण देने में अभियोजन से हुई उक्त चूक बहुत ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि घटना के सभी चश्मदीद गवाह मृतक के रिश्तेदार/संबंधी थे और इस कारण से अभियोजन के मामले से हितबद्ध थे। यहां तक कि पीडब्लू-1 व पीडब्लू-2 मृतक शेखर के भाई हैं, पीडब्लू-3 मृतक शेखर की मां है, पीडब्लू-6 व पीडब्लू-7 मृतक मोहन के भाई हैं, पीडब्लू-8 मोहन का बहनोई/साला है और पीडब्लू-12 मोहन का बड़ा भाई है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में हम अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री परासरन के इस कथन में काफी बल पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 के सिर पर लगी गंभीर चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इस तरह का गैर-स्पष्टीकरण हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए उकसाता है या मजबूर करता है कि अभियोजन पक्ष ने सही कहानी प्रस्तुत नहीं की है और अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 की भूमिका के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं और गवाह जो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुए हैं तथा जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 की घटना में सकारात्मक भूमिका होना बताते हुए कहा है कि उसने मोहन को पकड़ रखा था जब अपीलार्थी संख्या 2 ने उसे चाकू मारा, उनकी साक्ष्य

सारभूत बिन्दुओं पर सही नहीं हैं और इसलिए उनकी साक्ष्य कमजोर हो गयी है। हालांकि जैसा कि पहले बताया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 के भी चोटें लगी थी परन्तु उसे लगी चोटें सामान्य एवं सतही थी इसलिए अभियोजन उनका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं हैं परन्तु यह सिद्धांत समान रूप से वहां लागू नहीं होगा जहां चोटें ऐसी गंभीर प्रकृति की हों, जैसी कि अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 को लगी थी, जिन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट नहीं किया था जो एक-दूसरे के संबंधी/रिश्तेदार थे तथा अभियोजन पक्ष के मामले में हितबद्ध थे।

इस स्तर पर हमारे लिए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अमरेश्वरी द्वारा दिए गए इस तर्क पर ध्यान देना उचित हाेगा कि अभियोजन साक्ष्य की विद्वान् सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गयी है और नीचे की दो अदालतों द्वारा ऐसे साक्ष्य को स्वीकार किया गया है इसलिए इस न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप करे। हम, हालांकि खुद को इस दलील से सहमत होने के लिए मनाने में असमर्थ हैं क्योंकि इस मामले में हम साक्ष्य की विवेचना या समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो केवल आपराधिक-न्यायशास्त्र के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं जो अभियोजन पक्ष पर अभियुक्तों

की चोटों का स्पष्टीकरण देने का दायित्व डालता है, खासकर तब जबकि ऐसी चोटें गंभीर प्रकृति की हों और ऐसी चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के परिणाम। इसके अलावा उपयुक्त मामलों में साक्ष्य की समीक्षा/विवेचना करने की इस न्यायालय की शक्तियों पर भी कोई रोक/प्रतिबंध नहीं है बशर्ते निचली अदालतों द्वारा की गयी ऐसे साक्ष्य की विवेचना देखने से ही गलत प्रतीत होती हो जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई हो। हालांकि, हम इस प्रश्न पर अधिक गहराई से विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस मामले में मौजूद साक्ष्य की विवेचना नहीं कर रहे हैं। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भारी गलती की है कि ए-1 को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना महत्वपूर्ण/सारभूत नहीं है। उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि चूंकि पुलिस ने सीआर.पी.सी. की धारा 161 के तहत पूछताछ के दौरान अभियुक्त की चोटों के बारे में गवाहों से इस बारे में पूछताछ नहीं की इसलिए ऐसी चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, गलत है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह भी पता चलता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार हालांकि घटना अभियुक्त संख्या 3 के घर के सामने घटित हुई थी जहां अभियुक्त संख्या 2 ने मृतक मोहन और शेखर दोनों को चाकू मारा था और घायल मोहन को ले जाते समय वह प्रभाकर के घर के सामने गिर गया जिसके कारण प्रभाकर के घर के सामने भी खून गिर

गया। फिर भी यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि प्रभाकर के घर से लेकर वेंकट रेड्डी के घर तक खून के धब्बे कैसे मिले और यहां तक कि वेंकट रेड्डी के घर के बरामदे पर भी, जैसा कि अन्वेषण अधिकारियों में से एक पीडब्लू-2 व पीडब्लू-22 ने कहा है और उक्त पीडब्लू-22 के अनुसार प्रभाकर एवं वेंकट रेड्डी के घरों के बीच की दूरी 120 फीट से भी ज्यादा है। हालांकि मोहन और शेखर को अभियुक्त संख्या 3 के सामने चाकू मारा गया था, जैसा कि अभियोजन गवाहों ने कहा था परन्तु खून के धब्बों को प्रभाकर के घर तक पाया जाना तो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि घायल व्यक्तियों को उस स्थान तक लाया गया था परन्तु उससे आगे, ऐसा कोई मामला नहीं है कि घायलों को इससे आगे ले जाया गया था और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है कि वेंकट रेड्डी के घर के बरामदे तक खून के धब्बे कैसे पाए जा सकते थे और फिर उक्त वेंकट रेड्डी के बरामदे से खून से सने पत्थर भी बरामद किए गए थे। यह बात भी इंगित करती है कि अभियोजन पक्ष के गवाह निश्चित नहीं थे कि घटना कहां घटित हुई थी। गवाह पीडब्लू-2 व पीडब्लू-8 के साक्ष्य से भी यह पता चला कि कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने घटना देखी थी और जो उस इलाके के निवासी नहीं हैं। यदि ऐसे स्वतंत्र गवाह उपलब्ध थे और फिर भी अभियोजन द्वारा उन्हें परीक्षित नहीं करवाया गया और केवल उन व्यक्तियों को परीक्षित करवाया गया था जो मृतक के रिश्तेदार हैं, तो ऐसी स्थिति में

अभियोजन के मामले की जांच और ज्यादा सावधानी और सतर्कता से की जानी चाहिए।

इसके अलावा श्री परासरन अपने इस कथन में सही हैं कि गवाहों ने अभियुक्त संख्या 1 द्वारा मोहन को पकड़े जाने एवं अभियुक्त संख्या 3 द्वारा शेखर को पकड़ने की भूमिका बतायी है और फिर भी उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 3 का लाभ दिया क्योंकि धारा-161 सीआर.पी.सी. के तहत पूछताछ के दौरान गवाहों ने पुलिस को यह नहीं बताया था इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियुक्त संख्या 1 द्वारा मोहन को पकड़े जाने के बारे में जो कथन किया है उसमें भी वही कमजोरियां हैं और उक्त अभियुक्त संख्या 1 भी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। वास्तव में राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती अमरेश्वरी ने जैसा कि पहले कहा है, वह भी निष्पक्ष रूप से कहा है कि संभवतः अभियुक्त संख्या 1 की दोषसिद्धि को बरकरार रखना मुश्किल होगा जब अभियुक्त संख्या 3 को लाभ मिला है और उसे दोषमुक्त कर दिया गया है और दोषमुक्ति के ऐसे आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा अपील भी दायर नहीं की गयी है। अभियोजन के मामले उपर बतायी गयी कमजोरियों के कारण और विशेष तौर पर जब अभियुक्त संख्या 1 के सिर पर लगी गंभीर चोटों के लिए अभियोजन कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है और उच्च न्यायालय ने

पहले ही पाया है कि ऐसी चोटें उसे घटना के दौरान लगी थी, हमें यह मानने में कोई

हिचकिचाहट नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 डी.वी. शण्मुघम संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और हम तद्रुसार उक्त अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 की धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता दोनों के तहत की गयी दोषसिद्धी और सजा को अपास्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाए।

परन्तु अपीलार्थी संख्या 2 के मामले में यही रूख थोड़ा अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री परासरन ने जाेरदार ढंग से तर्क दिया था कि पूरे मामले को ही खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सही कहानी प्रस्तुत नहीं की है और घटना की उत्पत्ति और उद्भव को छुपा लिया है और ऐसा निष्कर्ष अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों के गैर-स्पष्टीकरण से भी निकाला जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पाया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 को लगी चोटें प्रकृति में सामान्य एवं सतही हैं और अभियोजन पक्ष ऐसी मामूली व सतही प्रकार की चोटों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जहां साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट, ठोस और एक स्वतंत्र स्रोत से लगातार आ रहा है वहां, ऐसा साक्ष्य अभियोजन पक्ष की अभियुक्त की चोटों को स्पष्ट करने संबंधी चूक से कहीं अधिक प्रभावी है। ऐसे मामले में इसके बावजूद भी कि चोटों को स्पष्ट नहीं किया गया है, दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है। जैसा कि लक्ष्मी सिंह

व अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले भी अभिनिर्धारित किया गया है जिस पर विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परासरन ने भरोसा जताया था।

जहां तक अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 के संबंध में अभियोजन के मामले की बुनियाद का सवाल है तो घटना के सभी चश्मदीद गवाहों के द्वारा एक सुर में कहा गया है कि अभिुक्त संख्या 2 ने मोहन और शेखर के भी पेट पर चाकू से वार किया था। उनकी गवाही की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ-साथ दो मृतक व्यक्तियों की पोस्ट-मार्टम परीक्षण से भी होती है। यहां तक कि घटना के शुरुआती संस्करण एफ.आई.आर. में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अभियुक्त संख्या 2 डी. वैदवेलु ने मोहन के पेट में चाकू मारा था। साथ ही शेखर के पेट में भी छूरा घोंपा था और उसकी आंत बाहर आ गयी थी।

उक्त पुख्ता सबूतों को ध्यान में रखते हुए जहां तक अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 की भूमिका का सवाल है, अभियोजन पक्ष की पहले बतायी गयी कमजोरियां जिनके आधार पर हमने अपीलार्थी संख्या 1 को संदेह का लाभ दिया है, उनके बावजूद भी यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 की पुष्ट की गयी दोषसिद्धी एवं

सजा में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम परिणाम के रूप में अपीलार्थी संख्या 1 डी.वी. शण्मुघम की उच्च न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि एवं सजा को अपास्त किया जाता है और उसे सभी आरोपों के लिए दोषमुक्त किया जाता है। अगर किसी अन्य प्रकरण में उसकी निरूद्धि की आवश्यकता न हो तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाए परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी संख्या 2 की दोषसिद्धि व दण्डादेश को पुष्ट किया जाता है और जहां तक ए-2 का संबंध है, उसकी अपील खारिज की जाती है। यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री अमरजीत सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)